न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 14/2017 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00083

उनवान

हुब्बलाल पुत्र श्री लज्जो जाति जाट निवासी ग्राम जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र लज्जो जाति जाट निवासी ग्राम जयचौली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक उच्चैन, भरतपुर।
3. श्रीमान् तहसीलदार साहब रूपवास तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

..... रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर, उच्चैन दि0 13.12.16 प्र.सं. 125/12 उनवान मोहन सिंह बनाम हुब्बलाल।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेण्ट श्री पुरूषोत्तम मुदगल उपस्थित।

निर्णय दिनांक–12.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि रैस्पो0/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा बाबत् विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 व 53 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादी, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 13 रकवा 20 बीघा 13 विस्वा वाके ग्राम जयचौली में रैस्पो0/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी वहिस्सा बराबर के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी हैं। रैस्पो0/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दोनों सगे भाई हैं एवं दोनों ने विवादित आराजीयात का मौके पर मनवट कर रखा है एवं मुताबिक मनवट विवादित आराजी को शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादी/अपीलाण्ट के मन मे बेइमानी आ गयी है एवं रैस्पो0/वादी को मनवट के आधार पर प्राप्त विवादित आराजी को शांति पूर्वक काश्त नहीं करने देता है एवं विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देता है। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई राजस्व लोक अदालत कैम्प जयचौली में अपीलाधीन आदेश से प्राथमिक डिक्री करते हुए, नायब तहसीलदार से कुर्रेजात प्रस्ताव तलब किये गये। उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर सिद्ध तथ्यों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई रजामन्दी इस प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित करने हेतु नहीं दी है, अधीनस्थ न्यायालय ने जो रजामन्दी दिया जाना अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है, वह कतई गलत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित में कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद बिन्दू निर्धारित किये हैं, जिनके मुताबिक रैस्पो0/वादी को दावा साबित करने में साक्ष्य प्रस्तुत करनी चाहिए थी। किन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। केवल मौखिक कथनो के आधार पर दावा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है एवं ना ही मौखिक कथनों के आधार पर खातेदारी अधिकारो का सृजन ही होता है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी का पूर्व से विभाजन हो रहा है, जो सडक व आबादी के हिसाब से हो रहा है, उक्त विभाजन के विरूद्ध रैस्पो0 ने दावा पेश किया है तथा शामलाती सभी आराजी को प्रकरण में शामिल नहीं किया है। अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1989 पेज 735 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने अपनी जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट ने प्राथमिक डिक्री की अपील प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट द्वारा मात्र यह आपत्ति की गयी है कि अपीलाधीन आदेश उनकी बैक पर पारित हुआ है, उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला एवं ना ही उन्होंनें अपीलाधीन आदेश बाबत् कोई रजामन्दी दी है। परन्तु अपीलाण्ट ने अपने उक्त कथनों बाबत् कोई प्रमाण हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि अपीलाधीन आदेश में उनकी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रजामन्दी फर्जी है, तो उन्हें प्राथमिक सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए थी। किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय में ही इस बाबत् आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अब प्रस्तुत अपील में यह आपत्ति की उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला अथवा रजामन्दी फर्जी अंकित गई है, न्यायालय द्वारा मान्य नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु तीन तनकियॉ निर्धारित की है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> **"आया वाद के बिन्दु संख्या 01 में वर्णित ग्राम जयचौली में स्थित विवादित आराजी में वाद के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित मनवट बॅटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी खातेदार काबिज काश्त हैं, जिम्मे वादी"** अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2066–2069 के खाता संख्या 168 में वर्णित विवादित आराजी में पक्षकार मोहन सिंह व हुब्बलाल पिसरान लज्जो कौम जाट बहिस्सा बराबर साकिन देह खातेदार दर्ज हैं। विवादित आराजी पर रैस्पो0/वादी एवं प्रतिवादी/अपीलाण्ट सहकृषक अंकित हैं अतः मनवट के आधार पर बॅटवारा होना स्वभाविक है। अतः तनकी वहक वादी सिद्ध है।

7. <u>तनकी संख्या 02</u> **" आया दिनांक 11.07.2012 को दी गई धमकी के कारण वादी मनवट के आधार पर विवादित आराजी का विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है, जिम्मे वादी"** चूंकि जमाबन्दी संवत 2066–69 में अंकित विवादित आराजी में पक्षकार वहिस्सा बराबर सहकृषक दर्ज हैं अतः पक्षकारो के मध्य विवादित आराजी को लेकर विवाद होने की शंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी विवादित आराजी का विधिवत विभाजन करा पाने का अधिकारी है। अतः तनकी वहक वादी तय की जाती है।

8. <u>तनकी संख्या 03</u> **"आया आबादी व सडक से लगते हुए, विवादित आराजी के हिस्से को हडपने के लिये दायर यह वाद खारिज योग्य है, जिम्मे प्रतिवादी"** इस तनकी बाबत् पूर्ण विवेचना, अधीनस्थ न्यायालय को कुर्रे प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् की जा सकती है। अपीलाण्ट/प्रतिवादी कुर्रे प्रस्तावो पर आपत्ति करने को स्वतंत्र है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील में इस तनकी का हम कोई बल नहीं पाते हैं। अतः तनकी वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय होती है।

9. जहॉ तक अपीलाण्ट/प्रतिवादी की अन्य आपत्तियों का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.12.2016 में रैस्पो0/वादी एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादी के हस्ताक्षर अंकित हैं। यह सही है कि औपचारिक राजीनामा, पत्रावली में नहीं है परन्तु

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेशिका में अंकित हस्ताक्षरो का आशय यह है कि पक्षकार न्यायालय के विनिश्चय से सहमत, सन्तुष्ट हैं, अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज कराते। अपीलाण्ट का सरसरी तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रति तिरस्कार पूर्ण यह कथन कि ''न्यायालय की आदेशिका में, जो रजामन्दी दिया जाना अंकित गया है वह कतई गलत है'' किसी ठोस साक्ष्य के अभाव में, किसी प्रकार प्रश्रय पाने योग्य नहीं है। वक्त बहस अभिभाषक अपीलाण्ट ने संवत 2070–73 खाता संख्या 180 की जमाबन्दी नकल पेश की। परन्तु उक्त नकल में, अपीलाधीन वाद के पक्षकारों के अलावा भी अन्य व्यक्ति सहकृषक अंकित हैं, जो अपीलाधीन वाद की भूमि में नहीं हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील खारिज योग्य समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.12.2016 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official